वित्त मंत्रालय

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने पूर्वोत्तर में दो अभियानों में करीब 23.5 करोड़ रुपये की हेरोइन और मेथमफेटामाइन जब्त की; चार ड्रग तस्कर गिरफ्तार

प्रविष्टि तिथि: 28 MAY 2025 12:16PM by PIB Delhi

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी पर कार्रवाई के अंतर्गत राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने 19 बीएन असम राइफल्स की सहायता से 21.5.2025 को राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर मणिपुर के नोनी में एक ट्रक के निचले हिस्से में से 569 ग्राम हेरोइन और 1,039 ग्राम मेथामफेटामाइन की गोलियों के पैकेट जब्त किए।

एक अन्य अभियान में, डीआरआई ने असम राइफल्स वित्तीय सूचना एकक, सिलचर की सहायता से 22.05.2025 को असम के हैलाकांडी जिले के एलोइचेरा में एक ट्रक के बेडलोड फ्लोर में से 2,640.53 ग्राम हेरोइन के पैकेट जब्त किए।

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जब्त की गई इन प्रतिबंधित दवाओं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय ग्रे ड्रग मार्केट में लगभग 23.5 करोड़ रुपये है। इस मामले में चार व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

राजस्व आसूचना निदेशालय ने इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 173 करोड़ रुपये मूल्य के *गांजा, मेथमफेटामाइन की गोलियां और हेरोइन जैसे प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए हैं तथा 26 लोगों को गिरफ्तार किया है।*

****

एमजी/केसी/जेके/एनजे

(रिलीज़ आईडी: 2131963) आगंतुक पटल : 20

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में

पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Manipuri , Assamese , Gujarati , Tamil , Malayalam